न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:— दावा संख्या 25/2019

निर्णय दिनांक :— 17-7-2019

1. उम्मेदसिंह पुत्र करणीसिंह उर्फ छींवरसिंह
2. इचरजकंवर पत्नी जगमालसिंह
3. नंदलालसिंह पुत्र जगमालसिंह
4. सोनू कंवर पुत्री जगमालसिंह

} राजपूत निवासीगण जान्दवा तहसील रतनगढ जिला चूरू

5. मनिषा कंवर नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक जरिये अपनी माता इजरजकंवर तमाम कौम राजपूत निवासीगण ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ जिला चूरू

... वादीगण

बनाम

1. संतोष कंवर पत्नि बजंरगसिंह पुत्री स्व. सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी जान्दवा हाल फदनपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. कंचनकंवर पत्नि किशोरसिंह पुत्री स्व. सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी जान्दवा हाल फदनपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. जुगलसिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह राजपूत निवासी जान्दवा त. रतनगढ
4. नन्दलालसिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह राजपूत निवासी जान्दवा त. रतनगढ
5. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. खगसिंह राजपूत निवासी जान्दवा तहसील रतनगढ
6. हडमानसिंह पुत्र स्व. खगसिंह राजपूतनिवासी जान्दवा तहसील रतनगढ
7. नत्थूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी जान्दवातहसील रतनगढ
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

1. श्री मघनाथ सिद्व अभिभाषक वादीगण
2. श्री राहुलदेव अभिभाषक प्रति.सं. 07
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ (जिला चूरू) राज०

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

निर्णय

1. वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन के लिए दिनांक 18.4.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या नया 60 के ख.नं. 140,380,407, 508/485 कुल तादादी 30.2629 हैक्टर भूमि वाके रोही ग्राम जान्दवा में स्थित चली आ रही है। वादीगण में इचरजकंवर का 2187/19144 हिस्सा, उम्मेदसिंह पुत्र करणीसिंह का 10317/38288 हिस्सा, नन्दलालसिंह का 1981/38288 हिस्सा, मनिषाकंवर का 1981/38288 हिस्सा, एवं सोनूकंवर का 1981/38288 हिस्सा भूमि है।

3. वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। सभी काश्तकार अलग अलग निवास करने के कारण उक्त खसरेजात की भूमि का विधिवत खाता व लगान अलग कायम करवाना चाहते है। वादगत भूमि में से वादीगण के हिस्से पांति में खेत खसरा नं. 380 तादादी 7.8028 हैक्टर एवं ख.नं. 407 तादादी 8.5490 हैक्टर भूमि यानि 16.3518 हैक्टर भूमि आई हुई है तथा आपसी व्यवस्था से इन दोनो खसरों की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। हम वादीगण उपरोक्त दोनो खसरों की भूमि को मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर हिस्से में रखवाते हुए खाता एवं लगान अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

4. वादीगण ने दिनांक 5.04.2019 को प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करा लेने का निवेदन किया तो उन्होने सहमति से विभाजन करवाने से मना कर दिया। यही वादाधार एवं वाद हेतुक है। विभाजन का दावा होने राजस्थान सरकार को प्रतिवादी सं. 8 संयोजित किया गया है।

5. वादगत भूमि ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ की रोही में स्थित है। जो न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

6. अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादगत भूमि में से वादीगण के हिस्से पांति में खेत खसरा नं. 380 तादादी 7.8028 हैक्टर एवं ख.नं. 407 तादादी 8.5490 हैक्टर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ... राज०

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

भूमि यानि 16.3518 हैक्टर भूमि रोही ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ़ को वादीगण के हिस्से में रखी जाकर मिट्स एण्ड बाउंड खाता व लगान अलग कायम किया जावे। उक्त भूमि में 04 विश्वा भूमि वादीनी सं. 2 इजरच कंवर के हिस्से में रखी जावे।

7. प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के विरूद्व दिनांक 23.5.2019 को तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व दिनांक 8.7.2019 को बावजुद तामील उपस्थित नही होने पर ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. प्रतिवादी सं. 07 की ओर से जबाबदावा मय कोस सूट दिनांक 24.6.2019 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

9. वादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी संम्वत 2073 से 2076 प्रदर्श 01, नकल एक्स प्रदर्श 02 वादगत खसरों की प्रस्तुत की है।

10. प्रतिवादी सं. 7 नत्थूराम की ओर से मुख्य जबाब में वादी के दावा की मदों को स्वीकार करते हुए क्रोस सूट प्रस्तुत किया है। क्रोस सूट में प्रतिवादी सं. 7 नत्थूराम के द्वारा अपने कब्जा काश्त में वादगत भूमि में ख.नं. 508/485 तादादी 2.6052 हैक्टर भूमि मिट्स एवं बाउंड के आधार पर खाता एवं लगान विभाजन करने की इस्तदुआ की गई है। पैरोकार राज प्रति.सं. 8 की ओर से कोई राज्यहित नही होना जाहिर किया गया। वादीगण के अभिभाषक की ओर से दिनांक 24.6.2019 को प्रतिवादी सं. 7 के क्रोस सूट पर कोई आपति नही होना जाहिर किया तथा उसके हिस्से की भूमि के लगान व खाता विभाजन पर सहमति दी गई है।

11. बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या नया 60 के ख.नं. 140,380,407, 508/485 कुल तादादी 30.2629 हैक्टर भूमि वाके रोही ग्राम जान्दवा में स्थित चली आ रही है। वादीगण में इचरजकंवर का 2187/19144 हिस्सा, उम्मेदसिंह पुत्र करणीसिंह का 10317/38288 हिस्सा, नन्दलालसिंह पुत्रत्र जगमालसिंह का 1981/38288 हिस्सा, मनिषाकंवर का 1981/38288 हिस्सा, एवं सोनूकंवर का 1981/38288 हिस्सा भूमि प्रदर्श 01 के अनुसार दर्ज रेकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 07 नत्थूराम का 206/2393 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

12. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से विभाजन में कोई आपति नही की गई है। पैरोकार राज ने कोई राज्यहित होना नही अकिंत किया है तथा विभाजन में कोई आपति नही की है।

13. वादीगण एवं प्रतिवादीगण रेकार्डेड सहखातेदार है और उनके रेकार्डेड हिस्से तक विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपति नही है। चूंकिं विभाजन से पूर्व प्रत्येक खातेदार का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त माना जाता है। इसलिए मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर खाता विभाजन एवं लगान कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण का दावा प्राथमिक रूप से डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 07 नत्थूराम प्राथमिक रूप से डिकी किया जाता है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या नया 60 के ख.नं. 140,380,407, 508/485 कुल तादादी 30.2629 हैक्टर भूमि वाके रोही ग्राम जान्दवा में स्थित चली आ रही है। वादीगण में इचरजकंवर का 2187/19144 हिस्सा, उम्मेदसिंह पुत्र करणीसिंह का 10317/38288 हिस्सा, नन्दलालसिंह पुत्र जगमालसिंह का 1981/38288 हिस्सा, मनिषाकंवर का 1981/38288 हिस्सा, एवं सोनूकंवर का 1981/38288 हिस्सा भूमि प्रदर्श 01 के अनुसार दर्ज रेकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 07 नत्थूराम का 206/2393 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसे वो संयुक्त खातेदारी से विभाजन करवाने के अधिकारी है। तहसीलदार, रतनगढ से राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 17-7-2019 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ (जिला चूरू) राज.

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'- 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़

इजलास श्रीमती अभिषा सोनी RAS

उमेदसिंह आदि बनाम संतोष कँवर वगैरह

दावा बाबत विभाजन धारा 53

मुकदमा नं. 25 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री मघनाथ सिंह PP मिनजानिब मुद्दई व श्री राहुलदेव एड. [illegible]

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिवादी प्रतिवादी सं 07 नत्थूराम प्राथमिक स्तर से डिक्री किया जाता है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी [illegible] खाता नम्बर 60 के खसरा नं 140, 380, 407, 508/485 कुल

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 7 20 2019

को जारी की गई

मुहर

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी

ओहदा रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

तादादी 30-2629 हैक्टर भूमि वाके रोही ग्राम जोरवा

में स्थित चली आ रही है। खातेदारान में इन्द्रकंवर

2197/19144 हिस्सा, उम्मेदसिंह पुत्र करणीसिंह का 10317/38288 हिस्सा, नन्दलालसिंह पुत्र भंवरलालसिंह का 1981/38288 हिस्सा, मनोहरकंवर का 1981/38288 हिस्सा एवं सोहनकंवर का 1981/38288 हिस्सा भूमि पड़त 01 के अन्दर दर्ज रेकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 7 नन्जूराम का 206/2393 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिन को संयुक्त खातेदारी से विभाजन करवाने के लिये भी अधिकारी है। तहसीलदार रतनगढ़ से राजस्थान (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। स्वयं पक्षकारान अपना अपना पक्ष करेंगे!

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner